पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1202
दिनांक-18.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-चिनहट

- **सर्विलांस टीम पूर्वी जोन व थाना चिनहट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा तेजाब फेंकने की घटना में संलिप्त 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक-14.07.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0-377/2026 धारा-124(1)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त अतहर रजा पुत्र स्व0-मो0 सरवर, निवासी ग्राम जलालपुर, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही 40 वर्ष को कस्बा काजीपुर के पास जलालपुर जिला भदोही से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 14.07.2026 को वादी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की दुकान मे घुसकर वादी व वादी के साथियो पर तेजाब फेंक कर घायल कर देने विषयक मु0अ0सं0-377/26 धारा-124(1) बीएनएस बनाम-अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 तेज कुमार शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उच्चाधिकारीगण द्वारा अभियोग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उपरोक्त घटना का अनावरण हेतु तत्काल प्रभाव से टीमें गठित की गयी। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटी फुटेज का अवलोक किया गया तथा सीसीटीवी फुटैज के अवलोकन व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से उपरोक्त घटना में संलिप्त पाये जाने पर प्रकाश में आये अभियुक्त अतहर रजा पुत्र स्व0मो0 सरवर, निवासी ग्राम जलालपुर, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही 40 वर्ष से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि अन्य साथियों के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिसको कस्बा काजीपुर के पास जलालपुर जिला भदोही से गिरफ्तार किया गया।

विवेचक उपरोक्त द्वारा प्रथम दृष्टया आपराधिक षड्यंत्र का अपराध परिलक्षित होने से मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बी.एन.एस. की बढ़ोतरी की गयी है। तथा अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अतहर रजा पुत्र स्व0 मो0 सरवर, निवासी ग्राम जलालपुर, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही 40 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01.मु0अ0सं0-377/26 धारा-124(1)/61(2) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना चिनहट पुलिस टीम	सर्विलांश टीम पूर्वी जोन
प्रभारी निरीक्षक दिनेश चन्द्र मिश्र	उ0नि0 अमर नाथ चौरसिया
उ0नि0 तेज कुमार शुक्ला	हे0का0 संदीप पाण्डेय
उ0नि0 सुमित कुमार	हे0का0 अमित कुमार सिंह
उ0नि0 विकास कुमार तिवारी	का0 शिवानन्द खरवार
उ0नि0 अंकुश	का0 तरनजीत सिंह
उ0नि0 नवनीत कुमार	का0 विमल चन्द्र
का0 रामपाल जयसवाल	का0 अजय यादव
	का0 प्रदीप कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1201

दिनांक-18.07.2026

लखनऊ साइबर सेल व एनजीओ 'प्रयास' ने संयुक्त रूप से स्कूली छात्रों को दी साइबर सुरक्षा की सीख।

आज दिनांक 18.07.2026 को लखनऊ पुलिस के **साइबर सेल** द्वारा **गैर-सरकारी संगठन के कार्डिनेटर सुश्री अनुषांगी खेमका** के साथ मिलकर स्कूली छात्रों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गयी। यह कार्यक्रम **'प्रयास'** के तहत हुआ जिस क्रम में **सेण्ट मैरी इण्टर कॉलेज** के कक्षा 09, 10, 11 व 12 के लगभग **400 स्कूली छात्रों** को साइबर अपराध एवं सावधानियों के सम्बंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया।

लखनऊ पुलिस के साइबर सेल के **मुख्य आरक्षी गौरव शुक्ला** द्वारा छात्रों को बताया गया कि किस प्रकार **सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत फोटो एवं जानकारी को अपलोड नहीं करना चाहिए एवं साथ ही प्रोफाइल को लॉक आदि किया जाना आवश्यक है।** अनजाने व्यक्ति द्वारा प्राप्त संदेशों एवं लिंक को नहीं खोलना चाहिए।

ऑनलाइन गेम्स खेलने के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ एवं फोन हैक करने वाले **मालवेयर/APK फाइल्स** के बारें में बताया गया। इसी के साथ **साइबर हैल्पलाइन/चाइल्ड हैल्पलाइन** आदि की जानकारी दी गयी एवं व्हाट्सअप के हैक होने की स्थिति में किस प्रकार से वापस प्राप्त करें यह भी बताया गया।

इसी प्रकार **ऑनलाइन साइबर बुलिंग/हैरासमेंट** किये जाने पर इसकी तत्काल शिकायत साइबर हैल्पडेस्क पर करें एवं अपनी इस समस्यां को टीचर पेरेंट्स से अवश्य साझा करें।

संस्था द्वारा बच्चों को साइबर अपराध एवं साइबर जागरूकता से सम्बंधित पोस्टर आदि भी वितरित किये गये। जिन्हें छात्र रूचि लेकर पढ़ेंगे। इस अवसर पर सेण्ट मैरी इण्टर कॉलेज के **डायरेक्टर श्री गौरव** व स्कूल के प्रधानाचार्य एवं अन्य टीचिंग स्टाफ मौजूद रहें। जिन्होंने इस प्रयास की सराहना की एवं ***भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता सम्बंधी कार्यक्रम समस्त स्कूलों में चलाये जाने की अपेक्षा की है।***

-पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1203
दिनांक-18.07.2026

क्राइम ब्रांच

क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम सेल के द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप शिकायतकर्ता के आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) के क्रेडिट कार्ड से केवाईसी (KYC) अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों द्वारा की गई धोखाधड़ी में ठगी गई धनराशि में से ₹1,63,992/ शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

त्वरित पुलिस कार्यवाही-

साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों में "केवाईसी (KYC) अपडेट कराने के नाम पीड़ीत को विश्वास में लेते हैं तथा अत्यधिक गोपनीयता एवं तत्काल भुगतान का दबाव बनाकर लाखों रुपये अपने बैंक खातों में स्थानांतरित करा लेते हैं।

इसी प्रकार के एक प्रकरण में लखनऊ शिकायतकर्ता श्री दीपक सिंह द्वारा साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई गई कि अज्ञात साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड की केवाईसी (KYC) अपडेट कराने के नाम पर उनसे संपर्क किया। ठगों ने विश्वास में लेकर उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ली तथा उसका दुरुपयोग करते हुए विभिन्न अनधिकृत वित्तीय लेनदेन कर कुल ₹1,96,422/- की साइबर ठगी कर ली।

जांच के दौरान संबंधित बैंकों, पेमेंट एग्रीगेटर्स एवं अन्य संस्थाओं से त्वरित समन्वय स्थापित कर संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित किया गया तथा फ्रॉड की गई धनराशि को सुरक्षित कराने हेतु लगातार प्रभावी फॉलो-अप किया गया।

इन सतत प्रयासों के फलस्वरूप शिकायतकर्ता के ICICI BANK के क्रेडिट कार्ड से साइबर अपराधियों के द्वारा ठगे गये कुल ₹1,63,992/- (एक लाख तिरसठ हजार नौ सौ बानवे रुपये) /- को शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड में वापस कराया गया है।

साइबर सेल की कार्यवाही -

शिकायत प्राप्त होते ही साइबर क्राइम सेल पर तुरन्त शिकायत दर्ज करते हुए Golden Hour Response के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंकों को धनराशि होल्ड कराने हेतु अनुरोध भेजा गया।

डिजिटल ट्रांजैक्शन का तकनीकी विश्लेषण किया गया तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा साइबर क्राइम सेल में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर सीसीएन संख्या-2295/2026, दिनांक 07.07.2026 पंजीकृत किया गया। पुलिस उपायुक्त (अपराध) के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह के आदेशानुसार मु0आ0 अखिलेश पटेल द्वारा प्रकरण में तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। संबंधित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों/कंपनियों से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार आवश्यक विधिक एवं तकनीकी कार्रवाई की गई।

समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप साइबर ठगों द्वारा शिकायतकर्ता श्री दीपक सिंह से ठगी गई कुल धनराशि ₹1,96,422/- में से ₹1,63,992/- (एक लाख तिरसठ हजार नौ सौ बानवे रुपये) दिनांक 18.07.2026 को शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड में सफलतापूर्वक वापस कराए गए।धनराशि वापस प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता ने साइबर क्राइम सेल की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।

धनराशि वापस कराने में सक्रिय अधिकारी/कर्मचारी -

1. निरीक्षक श्री अमर सिंह प्रभारी, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 प्रशांत वर्मा, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 सैय्यद आदिल हसन, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
4. मु0आ0 अखिलेश पटेल, साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पीड़ित का धन्यवाद वक्तव्य:

"मैं लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ ₹1,96,422/- लाख की साइबर ठगी हुई तो मुझे लगा कि मेरी पूरी धनराशि वापस मिलना लगभग असंभव है। लेकिन साइबर क्राइम सेल की टीम ने मेरी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लगातार फॉलो-अप किया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक ₹1,63,992/- (एक लाख तिरसठ हजार नौ सौ बानवे रुपये) दिनांक 18.07.2026 को धनराशि वापस मिल चुकी है। पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता एवं संवेदनशील कार्यप्रणाली के लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शेष धनराशि भी शीघ्र बरामद कर ली जाएगी।"

"साइबर अपराधी तकनीक के साथ-साथ मानवीय विश्वास एवं मनोविज्ञान का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी भी वित्तीय निर्देश का पालन केवल व्हाट्सएप संदेश, प्रोफाइल फोटो या ई-मेल के आधार पर कभी न करें। संबंधित अधिकारी से उनके आधिकारिक मोबाइल नंबर अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से स्वतंत्र रूप से सत्यापन अवश्य करें। प्रत्येक संस्था को वित्तीय लेन-देन हेतु Two-Level Verification एवं Maker-Checker प्रणाली अपनानी चाहिए। समय पर शिकायत दर्ज होने पर धनराशि की रिकवरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है तो तत्काल 1930 हेल्पलाइन अथवा National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज कराए। साइबर क्राइम सेल, कमिश्नरेट लखनऊ आमजन की डिजिटल सुरक्षा हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।"

- अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रीमती किरन यादव (आईपीएस)

अपील / साइबर सुरक्षा सलाह-

* केवल व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो अथवा नाम देखकर किसी की पहचान पर विश्वास न करें।
* किसी भी वित्तीय निर्देश का पालन करने से पहले संबंधित अधिकारी से स्वतंत्र रूप से पुष्टि अवश्य करें।
* "मीटिंग में हूँ", "कॉल मत करना", "अभी तुरंत भुगतान करो" जैसे संदेशों पर विशेष सतर्कता बरतें।
* कंपनी में दो-स्तरीय (Maker-Checker) अथवा Multi-Level Approval प्रणाली लागू करें।
* अज्ञात लिंक, APK फाइल अथवा संदिग्ध एप्लीकेशन डाउनलोड न करें।
* OTP, UPI PIN, नेट बैंकिंग पासवर्ड अथवा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
* साइबर ठगी होने पर गोल्डन आवर के भीतर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

जारीकर्ता

अपर पुलिस उपायुक्त,अपराध कार्यालय

कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1194
दिनांक-18.07.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर पीडिता का शारीरक शोषण करने वाले 01 नफर अभि0 को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.07.26 को वादिनी मुकदमा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें वादिनी द्वारा आरोप लगया गया कि विपक्षी मोहित द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ होटल उत्कर्ष सेक्टर-14 लखनऊ में शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा जान से मारने की धमकी दिया गया है। वादिनी मुकदमा के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 0240/2026 धारा- 69/351(3) बी.एन.एस. बनाम – मोहित पंजीकृत कर अभि0 की तलाश प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 17.07.26 को अभिसूचक से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभि0 मोहित रस्तोगी पुत्र विनोद कुमार निवासी मानस ग्रीन शिव सिटी जरहरा थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष को मुंशी पुलिया चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा जान से मारने की धमकी देना

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01-मोहित रस्तोगी पुत्र विनोद कुमार निवासी मानस ग्रीन शिव सिटी जरहरा थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 240/2026 धारा- 69/351(3) बी.एन.एस थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री अभिषेक पाण्डेय चौकी प्रभारी मुंशी पुलिया
2. का0 रविन्द्र सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1205

दिनांक-18.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा गुम हुए मूक-बधिर युवक को पुलिस ने किया सकुशल बरामद कर परिजनो को किया सुपुर्द ।**

संक्षिप्त विवरण-

आवेदक श्री इंतजार अली पुत्र शराफत अली निवासी ग्राम जमालपुर कुर्मियान थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ द्वारा थाना गोसाईगंज पर अपने पुत्र अली हसन उम्र करीब 34 वर्ष जो कि बोलने व सुनने में असमर्थ है, वह घर से बिना किसी को बताये कहीं चला गया था और वापस नहीं आया था। इसके सम्बन्ध में प्रा0पत्र देकर गुमशुदगी संख्या 35/2026 दर्ज कराया गया था। जिसकी जांच उ0नि0 श्री कृपाशंकर यादव द्वारा की जा रही थी।

मूक-बधिर युवक के गुम हो जाने की सूचना थाने पर प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक श्री डी.के. सिंह द्वारा मानवीय दृष्टिकोण के तहत तत्काल संज्ञान लेते हुए गुमशुदा अली हसन की तलाश एवं बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री कृपाशंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम के द्वारा गुमशुदा अली हसन की तलाश व पतारसी-सुरागरसी के क्रम में घटनास्थल एवं उसके आस-पास के महत्वपूर्ण स्थानों में लगे करीब 80 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। गुमशुदा अली हसन के फोटो लगे पम्पलेट तैयार कर थाना क्षेत्र के प्रमुख चौराहों, बस स्टाप, रेलवे स्टेशन आदि सम्भावित स्थानों पर चस्पा किया गया एवं आने जाने वाले राहगीरों को गुमशुदा की फोटो दिखाकर उसकी जानकारी की गयी।

आज दिनांक 18.07.2026 को पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गुमशुदा की तलाश की जा रही थी कि तभी शिवलर रोड में पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा अली हसन को सकुशल बरामद कर लिया गया। पूछताछ में गुमशुदा के द्वारा घरवालों से नाराज होकर आगरा जाने की बात बतायी गयी। गुमशुदा को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. **उ0नि0 श्री कृपाशंकर यादव**
2. का0 रविभूषण पाण्डेय

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1197
दिनांक-18.07.2026

जोन-उत्तरी / थाना- इटौंजा

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर विवाहिता की हत्या कर शव को नहर में फेंकने वाले 03 अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13.07.2026 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा श्री पवन कुमार कश्यप पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी मछली मण्डी सीतापुर कोतवाली नगर जनपद सीतापुर द्वारा एक किता प्रार्थना पत्र बावत ससुरालीजन द्वारा वादी की पुत्री (हिमांशी) उम्र करीब 26 वर्ष को दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताडित करते हुए मारपीट करना तथा वादी की पुत्री की हत्या कर शव को गायब कर देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 80/85/238/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. (पति) प्रदीप गौड पुत्र श्रीराम गौड, 2. (सास) सुनिता पत्नी श्रीराम गौड, 3. (ससुर) श्रीराम गौड पुत्र अज्ञात, 4. (जेठ) संदीप गौड पुत्र श्रीराम गौड, 5. (ननद) प्रिति पत्नी अज्ञात, 6. (ननद) राखी पत्नी अज्ञात, 7. (प्रिति का बेटा) शिवा उर्फ लकी पुत्र अज्ञात समस्त निवासीगण मूल पता विरसिघपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना की गम्भीरता को देखते हुये घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में एवं सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी लखनऊ की हुकुम तहरीरी के अनुपालन मे टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 17.07.2026 को अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्तगण 1. प्रदीप कुमार पुत्र श्रीराम निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष 2. सुनीता पत्नी श्रीराम निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटोंजा लखनऊ उम्र करीब 57 वर्ष 3. राखी पुत्री श्रीराम निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटोंजा लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र इटौंजा से गिरफ्तार किया गया एवं मृतका हिमांशी के शव को बरामद कर परिवारीजन द्वारा शिनाख्त करायी गयी। अभियोग मे साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 80(2)/85/238/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे तरमीम किया गया। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त प्रदीप कुमार उपरोक्त ने बताया कि मेरी जान पहचान भारत मेट्रिमोनियल साइट से **मृतिका** हिमांशी पुत्री पवन कुमार कश्यप निवासी ग्राम मछली मण्डी थाना कोतवाली जनपद सीतापुर से हुई थी। दोनो पक्षो की सहमति से हमारी शादी हई थी। शादी के बाद छोटी छोटी बातो पर हम दोनो मे विवाद होता रहता था।

दिनाँक 12.07.2026 को मुझे अमरनाथ जाना था तो मै उसकी तैयारी कर रहा था। मेरी पत्नी हिमांशी मुझ से नाराज थी मै खाना खाने के बाद छत पर सोने चला गया। सुबह जल्दी उठकर टहलने के बाद जब वापस आय़ा तो घर पर पैकिंग करने के लिए सामान देखने लगा तो तभी मेरी बड़ी बहन ने बताया कि हिमांशी नें पंखे से लटक कर फाँसी लगा ली है। मैने अपनी माँ औऱ घर वालों की मदद से शव को उतारकर अपनी माँ और छोटी बहन की सहायता से शव को कार मे डालकर अपनी पत्नी के शव को चिनहट के पास बड़ी नहर में फेंक दिया जिससे मेरा परिवार और मै मुकदमे में न फँसे ।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु.अ.सं. 99/2026 धारा 80(2)/85/238/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना इटौंजा, लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्रीराम निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष
2. सुनीता पत्नी श्रीराम निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटोंजा लखनऊ उम्र करीब 57 वर्ष
3. राखी पुत्री श्रीराम निवासी मूल पता विरसिंहपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर, हाल पता मालरोड़ आरा मशीन के पीछे तुर्की थाना इटोंजा लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊः-

1. उ0नि0 श्री लल्लन सिंह कुशवाहा थाना इटौंजा लखनऊ
2. म0उ0नि0 सुश्री सारिका गुप्ता थाना इटौंजा लखनऊ
3. म0हे0का0 कुसुमलता थाना इटौंजा लखनऊ
4. म0का0 पूजा शर्मा थाना इटौंजा लखनऊ
5. का0 रजत सिंह थाना इटौंजा लखनऊ
6. का0 रवि कुमार थाना इटौंजा लखनऊ
7. का0 दीपक तोमर थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1198
दिनांक-18.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- इटौंजा , लखनऊ

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.07.2026 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा द्वारा शिकायत किया गया कि वादी की माता उम्र करीब 70 वर्ष जो शौच के लिये गयीं थी के साथ एक अज्ञात अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया है । जिस सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 102/2026 धारा 64(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

02-कार्यवाही का विवरण-

घटना की गम्भीरता को देखते हुये तत्काल वादिनी का 180BNSS का बयान कर, निरीक्षण घटनास्थल, पीड़िता के बयान180 BNSS,पीडिता का मेडिकल व सीसीटीवी कैमरे व अन्य साक्ष्य संकलन कराया गया। घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारी गण के आदेश निर्देश के क्रम में टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 18.07.2026 को सीएचसी क्रासिंग इटौंजा के पास से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्त संजय उर्फ छंगा पुत्र परमेश्वर निवासी ग्राम कुण्डापुर थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष को अन्तर्गत धारा 64(1)बीएनएस में गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। **अपराधिक** इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है ।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्तो द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया ।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु.अ.सं. 102/2026 धारा 64(1) बीएनएस थाना इटौंजा, लखनऊ ।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

01-संजय उर्फ छंगा पुत्र परमेश्वर निवासी ग्राम कुण्डापुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष (व्यवसाय –ड्राइवरी)।

06.-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना इटौंजा लखनऊः-

1. अति0 निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 दीपक तोमर थाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 हिमांशु कुमार थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1199

दिनांक- 18.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मडियांव

- **थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा बंधक बनाकर मारपीट, मोबाइल लूट एवं यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 02 फरार चल रहे वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

थाना आशियाना पर मा० न्यायालय के आदेश धारा 156(3) सीआरपीसी के अनुपालन में पंजीकृत मु0अ0सं0 365/2024 धारा 392/325/342/506 भादवि एवं 66-डी आईटी एक्ट वादी मुकदमा श्री आनन्द कुमार वर्मा पुत्र स्व0 खरेलाल वर्मा निवासी म0नं0 2/444 सेक्टर ओ मानसरोवर योजना एलडीए कालोनी कानपुर रोड आशियाना लखनऊ का प्रकरण, घटनास्थल थाना मड़ियांव क्षेत्राधिकार में पाए जाने के कारण उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार थाना मड़ियांव स्थानांतरित किया गया, जहां इसे दिनांक 03.11.2024 को मु0अ0सं0 673/2024 के रूप में पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं तकनीकी विश्लेषण से अभियुक्त हिमांशु मिश्रा, गौरव मिश्रा, शाहरुख तथा राज पंचाल उर्फ अर्जुन उर्फ विजय पंचाल के नाम प्रकाश में आए।

विवेचना के दौरान अभियुक्त गौरव मिश्रा को दिनांक 16.01.2026 को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध साक्ष्य संकलित करते हुए दिनांक 23.02.2026 को अन्तर्गत धारा 394/325/342/506/420/364/368/120-बी भादवि एवं 66-डी आईटी एक्ट में तथा वांछित अभियुक्त हिमांशु मिश्रा को दिनांक 23.05.2026 को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अन्तर्गत धारा 394/325/342/506/420/364/368/120बी भादवि व 66D आईटी एक्ट में नियमानुसार चालान जरिये आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

शेष वांछित अभियुक्त शाहरुख एवं राज पंचाल उर्फ अर्जुन उर्फ विजय पंचाल की गिरफ्तारी हेतु लगातार पतारसी-सुरागरसी एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 17.07.2026 को थाना मड़ियांव पुलिस टीम द्वारा जनपद गाजियाबाद से दोनों वांछित अभियुक्तों 1. अर्जुन पुत्र राजकुमार निवासी कमलपांचाल के मकान में किराये पर राकेश मार्ग निकट तेनसिंह पैलेस थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को कमलपांचाल के मकान के पास थाना गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद से दिनांक 17.07.2026 को समय करीब 22.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया एवं 2. शाहरूख पुत्र सलीम निवासी गली नं0 16 प्रतापनगर बन्दफाटक के पास थाना हर्षविहार जनपद उत्तर-पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को भाटिया मोड के पास थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद से दिनांक 17.07.2026 को समय करीब 22.50 बजे को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्तगणों द्वारा प्लाट दिखाने के बहाने से बुलाकर बंधक बनाकर मोबाईल छीन लेने व मार कर हाथ तोड देने व धमकी देने तथा यूपीआई नम्बर से आनलाइन पैसा ट्रांसफर कर धोखाधडी कर लेने के सम्बन्ध में।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/व्यवसाय :-

1. अर्जुन पुत्र राजकुमार निवासी कमलपांचाल के मकान में किराये पर राकेश मार्ग निकट तेनसिंह पैलेस थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष (व्यवसाय- आटो ईरिक्शा चालक)
2. शाहरूख पुत्र सलीम निवासी गली नं0 16 प्रतापनगर बन्दफाटक के पास थाना हर्षविहार जनपद उत्तर-पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष (व्यवसाय- पिकअप चालक)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पुष्पेन्द्र चौधरी
2. आरक्षी सचिन दूबे

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1204
दिनांक-18.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्यारोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-कार्यवाही का विवरण:-

पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.07.2026 को वादी महेश पुत्र रघुवर निवासी ग्राम गदियाना, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री सुनीता का विवाह लगभग दो वर्ष पूर्व प्रेम कुमार पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम जबरौली, थाना मोहनलालगंज के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात दहेज कम मिलने के कारण सुनीता को उसके पति प्रेम कुमार एवं अन्य परिजनों द्वारा लगातार प्रताड़ित करते हुए दोपहिया वाहन की मांग की जाती थी। जिससे क्षुब्ध होकर वादी की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 261/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

मृतका दहेज को लेकर हो रही लगातार प्रताड़ना से क्षुब्ध थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। घटना के पश्चात अभियुक्त प्रेम कुमार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 18.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के जबरौली मोड़ के पास जंगल में छिपे होने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अन्य की संलिप्तता के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

03-पूछताछ अभियुक्त:-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसको दहेज कम मिला था जिस कारण आये दिन उसका उसकी पत्नी से विवाद होता रहता था।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-प्रेम कुमार रावत पुत्र श्री रघुवीर रावत निवासी ग्राम जबरौली थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष।

05-पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 261/26 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1207

दिनांक-18.07.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे Cy-Vajra अभियान के तहत 01 शातिर साइबर फ्राडस्टर को साईबर सेल (प0) एवं थाना वजीरगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **02 अदद मोबाइल फोन व 1000 रुपये नगद बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.2026 को वादी मुकदमा श्री अर्जुन कुमार पुत्र रामसागर निवासी वृन्दावन कालोनी सेक्टर सेवन –बी मं0सं0 210 लखनऊ द्वारा वादी मुकदमा(रेपिडो चालक) के साथ अज्ञात अभियुक्त द्वारा 76 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति श्री प्रदीप खदरिया निवासी दरगांव, गोलाघाट असम के साथ साईबर ठगी कर सोशल इंजीनियरिंग कारित करते हुए कुल 19000 की ठगी गयी राशि को वादी मुकदमा के मोबाईल नंबर व बार कोड को धोखे से लेकर उसके बैंक खाते में उक्त राशि को मंगवाकर मुकदमा वादी को बंधक बनाकर व डरा-धमकाकर उक्त राशि को कई ए.टी.एम पर निकालने का प्रयास करते हुए ICICI Bank ATM स्थित सुभाष मार्ग बहद बीट ओपी चौकी आगामीर ड्योढी थाना वजीरगंज से सम्पूर्ण धनराशि निकालने के उपरान्त गाली गलौज करते हुए रेपिडो चालक अर्जुन को छोडा उसके पश्चात अर्जुन का बैंक अकाउंट प्रदीप खदरिया के द्वारा की गयी असम की साईबर कम्पलेन्ट पर फ्रीज हो गया था। जिसकी सूचना अर्जुन कुमार उपरोक्त द्वारा थाना वजीरगंज पर दी गयी।

जिस पर मु0अ0सं0- 168/2026 धारा 115(2)/352/351(2)/126(2)/318(4)/317(2)/308(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे Cy-Vajra अभियान के तहत उच्चाधिकारियो द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के क्रम मे प्रकऱण मे त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त के शीघ्र अनावरण हेतु आनलाइन फ्राड कारित करने वाले अभियोग उपरोक्त मे संलिप्त अभियुक्त को पकडने हेतु साईबर हेल्प डेस्क वजीरगंज एवं साईबर सेल (प0) द्वारा प्राप्त सूचनाओं का तकनीकी ढंग से विशलेषण कर जानकारी की गयी, ए.टी.एम के फुटेज एवं तकनीकी जानकारी डेवेलप की गयी तथा असम की साईबर कम्पलेन्ट पर साईबर सेल असम से समन्वय स्थापित कर प्रकरण को डेवलप कर अभियुक्त अभिलाष चक्रवर्ती पुत्र रॉमिन चक्रवर्ती उम्र करीब 45 वर्ष निवासी म0सं0 38/12, सूर्यविहार कालोनी गोरखनाथ, सूर्यविहार चौराहा, जनपद गोरखपुर को मय 02 अदद मोबाइल व 1000 रुपये नगदी के साथ रेजीडेंसी तिराहे के पास से समय करीब 20.50 बजे को दिनांक 17.07.2026 को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह सोशल मीडिया व अन्य सोशल नेटवर्किंग साईट्स से वृद्ध व भोले – भाले व्यक्तियों की सोशल इंजीनियरिंग कर उन्हें अपना शिकार बनाता था व भोले भाले व अनपढ किस्म के लोगों के बैंक खाते में पैसा जमा कर विभिन्न माध्यम से कैश निकाल लेता था।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अभिलाष चक्रवर्ती पुत्र रॉमिन चक्रवर्ती उम्र करीब 45 वर्ष निवासी म0सं0 38/12, सूर्यविहार कालोनी गोरखनाथ, सूर्यविहार चौराहा, जनपद गोरखपुर

04-चक्रवर्ती उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 28/2021 धारा 171/419/420/467/468 भादवि थाना जीआरपी गोण्डा
2. मु0अ0सं0- 168/2026 धारा 115(2)/352/351(2)/126(2)/318(4)/317(2)/308(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना वजीरगंज लखनऊ

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 168/2026 धारा 115(2)/352/351(2)/126(2)/318(4)/317(2)/308(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना वजीरगंज लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण –

- एक अदद जियो की-पैड मोबाइल फोन ब्लैक कलर
- एक अदद वन प्लस स्मार्ट मोबाइल फोन ग्रे कलर
- 1000 रुपये नगद

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- **साईबर हेल्प डेस्क टीम-** उ0नि0 श्री अभिषेक मिश्रा व म0आ0 आस्था भारद्वाज **थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ**
- **साईबर सेल (प0) टीम-** उ0नि0 श्री मोनेश कुमार यादव(प्रभारी साईबर सेल पश्चिमी), का0 अभिषेक यादव, का0 विनय कुमार शाह, का0 सोनू कुमार।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1206

दिनांक-18.07.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज की पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर वाहन चोर / अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार।**
- **02 अदद मोबाइल फोन व 03 अदद दोपहिया वाहन चोरी के बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.04.2026 को वादी मुकदमा श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र कल्लू राम निवासी दाउदनगर कालोनी फैजुल्लागंज घैला लखनऊ द्वारा स्वय की मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना वजीरगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया।

उच्चाधिकारियो द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो के क्रम मे मुकदमा उपरोक्त के शीघ्र अनावरण हेतु व अभियोग उपरोक्त में संलिप्त अभियुक्तों की पतारसी सुरागरती करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 18.07.2026 को शातिर किस्म के टप्पेबाज अभियुक्त 1.रोहित उर्फ नन्नू पुत्र लाखन सिंह निवासी हसेरन थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज हाल पता रावडपुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई 2.धर्मेन्द्र पुत्र कालिचरन निवासी रावडपुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई को मय 02 अदद मोबाइल व 03 अदद 02 पहिया चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ सीएमओ चौराहे से समय करीब 13.10 बजे थाना वजीरगंज की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी/बरामदगी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी, छपट्टामारी,टप्पेबाजी का काम करते है तथा भीडभाड वाले इलाको से मौका पाकर खड़ी मो0सा0 को चुराते है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.रोहित उर्फ नन्नू पुत्र लाखन सिंह निवासी हसेरन थाना इन्दरगढ जिला कन्नौज हाल पता रावडपुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई उम्र करीब 34 वर्ष

2.धर्मेन्द्र पुत्र कालिचरन निवासी रावडपुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई उम्र करीब 36 वर्ष

04-रोहित उर्फ नन्नू पुत्र लाखन सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 425/2019 धारा 406/411 भादवि थाना कोतवाली सीतापुर जनपद सीतापुर

2.मु0अ0सं0 384/2020 धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सीतापुर जनपद सीतापुर

3.मु0अ0सं0 385/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली सीतापुर जनपद सीतापुर

4.मु0अ0सं0 308/2021 धारा 120बी/395/397/412 भादवि थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर

5.मु0अ0सं0 90/2022 धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर

6.मु0अ0सं0 150/2022 धारा 2(ख)(1)/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर

7.मु0अ0सं0 260/2019 धारा 307 भादवि थाना करहल जनपद मैनपुरी

8.मु0अ0सं0 261/2019 धारा 411 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना करहल जनपद मैनपुरी

9.मु0अ0सं0 263/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करहल जनपद मैनपुरी

10.मु0अ0सं0 367/2019 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना किशनी जनपद मैनपुरी

11.मु0अ0सं0 206/2019 धारा 392/411 भादवि थाना किशनी जनपद मैनपुरी

12.मु0अ0सं0 100/2019 धारा 394/411 भादवि थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी

13.मु0अ0सं0120/2019 थाना धारा 394/411 भादवि थाना बेला जनपद औरैया

14.मु0अ0सं0 187/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ

15.मु0अ0सं0 437/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

16.मु0अ0सं0 321/2017 धारा 457 भादवि थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

17.मु0अ0सं0 418/2017 धारा 392 भादवि थाना हरपलपुर जनपद हरदोई

18.मु0अ0सं0 56/2026 धारा 3(5), 303(2), 313, 317(2), 317(4), 318(4), 336(3), 338, 340(2) थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी

19. मु0अ0सं0 87/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ

अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र कालिचरन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 586/2010 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

2.मु0अ0सं0 99/2018 धारा 379 भादवि थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

3.मु0अ0सं0 224/2018 धारा 395/120बी/412 भादवि थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

4.मु0अ0सं0 269/2018 धारा 307 भादवि थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

5.मु0अ0सं0 270/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

6.मु0अ0सं0 490/2018 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

7.मु0अ0सं0 204/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलग्राम जनपद हरदोई

8.मु0अ0सं0 347/2017 धारा 379 भादवि थाना चौक जनपद लखनऊ

9.मु0अ0सं0 87/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना वजीरगंज लखनऊ

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/345(3) बी0एन0एस0 थाना वजीरगंज लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण –

- मोटरसाइकिल होण्डा एसपी 125 रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 30 CF 2930 , चेचिस नम्बर E4JC94EBTD141614
- मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 32 HW 3745 , इंजन नम्बर-BLHAR055H9D31876, इंजन नम्बर HA11EPH9D02597
- मोटरसाइकिल पैशन प्रो रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 34 AR 3821, चेचिस नम्बर MBLHAR183JHB14279 , इंजन नम्बर HA10ACJHB46551
- एक अदद कीपैड मोबाइल फोन मोटोरोला कम्पनी
- एक अदद कीपैड मोबाइल फोन मोटोरोला कम्पनी

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

- प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 श्री अंशुमान कुमार थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
- उ0नि0 श्री अनिकैत चौहान थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 श्री कपिल चौधरी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
- का0 अंशुल कुमार थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
- का0 सचिन मिश्रा थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
- का0 शैलेन्द्र कुमार थाना वजीरगंज लखनऊ।
- का0 रोहित पासवान थाना वजीरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1200
दिनांक-18.07.2026

जोन उत्तरी/ थाना मलिहाबाद

आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना मलिहाबाद लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन शाखा के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0स0 30/2013 धारा 376/511 भादवि थाना मलिहाबाद लखनऊ थाना मलिहाबाद से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमि0 लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशन में, पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा श्रीमती ममता रानी चौधरी के पर्यक्षेपण में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) श्री गोपाल कृष्ण चौधरी के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) श्री नवीन कुमार सिंह तथा सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक मलिहाबाद श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 मनोज कुमार (पैरोकार) के अथक प्रयास व कुशल प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ADJ-18 जनपद लखनऊ महोदय द्वारा दिनांक 17.07.2026 को वाद सं0–0629/2014 मु.अ.सं.- मु0अ0स0 30/2013 धारा 376/511 भादवि थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ में निर्णायक फैसला दिया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पुत्तु सिंह पुत्र स्व0 मदन सिंह निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रू. अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास दण्डित किया गया।

02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

01-पुत्तु सिंह पुत्र स्व0 मदन सिंह निवासी ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद लखनऊ

03-विवरण सजा –

01-मु0अ0सं0 30/2013 धारा 376/511 भादवि थाना मलिहाबाद लखनऊ।

04-फैसला-

अभियुक्त उपरोक्त को उक्त मुकदमे में मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए 05 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

पैरवीकर्ता-

01-अभियोजक श्रीमती सारिका मौर्या ADGC CRIMINAL

02-प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी थाना मलिहाबाद लखनऊ

03- का0 मनोज कुमार (पैरोकार) थाना मलिहाबाद लखनऊ